

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

295

ADM (CR)

Copy

सेवा में,

- 1- समस्त गण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

जिलाधिकारी/जिला बाबू

दिनांक 09.12.14

राजस्य अनुभाग- 10

लखनऊ : दिनांक : 05 दिसम्बर 2014

विषय- वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-505/1-10-14-12(34)/03टी.सी.1, दिनांक 12.11.2014 धनाघटन किये जाने के साथ ही विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि:-

- 1- प्रदेश में वर्तमान में पड़ रही अत्यधिक ठण्ड से शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को नि:शुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।
- 2- क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मानक के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये तथा लाभार्थियों को कम्बल वितरण के समय उसकी फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित करायी जाय। कम्बलों का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाय।
- 3- प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए कम्बलों में से एक कम्बल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से सीलबन्द करके राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, छठा तल, लखनऊ को तत्काल प्रेषित किया जाये ताकि कम्बल की गुणवत्ता को देखा जा सके।
- 4- उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का पूर्ण सदुपयोग होने के पश्चात् यदि अतिरिक्त और धनराशि की आवश्यकता पती है तो स्वीकृत धनराशि के उपयोग के पूर्ण विवरण सहित अपेक्षित धनराशि का समुचित प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
- 5- शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अनुपालन आख्या (कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाये जाने की स्थिति) राहत कंट्रोल रूम के फैक्स संख्या-0522-2238084 अथवा 2236305 पर प्रेषित किए जाने के साथ ही राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर प्रत्येक दिन शाम 4:00 बजे तक अवश्य अपलोड किया जाय।
- 3- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

16/12/14

पैक्स/समयबद्ध

संख्या- 1077(1)/1-10-2014-12(34)/03टी0सी01

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ADN (FIR)
आदिन प्रो. लखनऊ संख्या-
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
दिनांक 10-12-2013

कैम्ब
की

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ : दिनांक : 08 दिसम्बर 2014

विषय- वर्ष 2014-15 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं वितरण और राहत कार्यों का संचालन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अद्यतन कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कम्बल आदि क्रय किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-505/1-10-14-12(34)/03टी.सी.1, दिनांक 12.11.2014 धनराशि स्वीकृत करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1077/1-10-14-12(34)/03टी.सी.1, दिनांक 05.12.2014 द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी/कोहर का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

- 1- प्रदेश में पड़ रही अत्यधिक ठण्ड, शीतलहरी से बचाव हेतु नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने एवं निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को निशुल्क कम्बल आदि के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा के अभाव में न हो।
- 2- नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि द्वारा निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के ठण्ड से बचाव के लिए अपने क्षेत्र में रैन बसेरे, शैल्टर होम आदि की स्थापना की जाती है। इन रैन बसेरों, शैल्टर होम में रुकने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के ठण्ड से बचने के लिए आवश्यक समस्त उपाय किए जायें तथा इन रैन बसेरों के आस-पास अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 3- क्रय किये जाने वाले कम्बलों की मात्रा के अनुसार शरा-प्रतिशत गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।
- 4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शीतलहरी के कारण किसी प्रकार की जन हानि की सम्भावना न हो। इसके लिए जो भी चिकित्सा एवं अन्य सुविधा की आवश्यकता हो, उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाय। ठण्ड, धुंध, कोहर आदि से किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इन्हें ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो विद्यालयों की प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को आवश्यकतानुसार बन्द रखने पर विचार किया जाय।
- 5- प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा क्रय किए गए कम्बलों में से एक कम्बल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से सीलबन्द करके राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, छठा तल, लखनऊ को तत्काल प्रेषित किया जायें ताकि शासन द्वारा कम्बल की गुणवत्ता की देखा जा सके।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।